अंचल अधिकारी ...भरनू... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 142/2016-भरनू

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा०, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा०न०निति–119/85/2308/रा०, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा०, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा–...रहेया... थाना– ...34 b..., खाता संख्या–...41... प्लॉट संख्या– 10/1, 14 रकबा–...2.58... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या–............के पृष्ठ संख्या–...83/2... पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कौडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक–20/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

भरनू

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– औरंगी मिश्रा, S/O रघुकुल मिश्रा ग्रा० – रहेमा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रहेमा	346	41	10/1, 14	2-18 डी०

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या.......... पृष्ठ सं०....83/2 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 82, 83
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :–
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– [illegible]
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – [illegible]
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
I	4765478	5/11/12	2012-13 से 2011-12

[signature]

(आदे)श की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख- उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी- पक्ष- अनुपस्थित। अतः पुनः त्रिविध नोटिस निर्गत करें। अग्र की तिथि —— को रखें। [illegible]	

आदेश पर कार्रवाई अंश पर्ची सहित 3

आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैर0 खास खाता सं0–41, प्लौट सं0– 10/1 एवं 14 रकबा क्रमशः 2. 10ए0 व 0.48 ए0 पर 1 मुस्ताक मियां, ओशी मियां पिता रसुल मियां 2. हमीदुन बीबी पति कुदुस मियां 3. समीम मियां पिता मोमिन मियां वै0 का जोत–कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा0 के बंदोबस्ती वाद सं0 177/02–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा–रहेया थाना नं0–345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–41, प्लौट सं0– 10/1, 14 रकबा– 2.58 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत 1. ओसी मियां वो मुस्ताक मियां पिता स्व0 रसुल मियां 2 हमीदुन बीबी पति कुदुस मियां 3. समीम मियां पिता रसुल मियां 4. जमीला बीबी पति मोमीन मियां 5. युसुफ मियां पिता रसुल मियां 6. रोजनी बीबी के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 83/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2011–12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....समाप्त.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ...142.../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम आलम मियां S/O रसूल मियाँ

ग्रा० - रहेमा

एतद् नेाटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा ...रहेमा..., थाना नं0...346 खाता नं0......41.... खेसरा नं0....10/1.....रकबा...2.58(20)से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिन्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक .... को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ट साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के सा॰ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युवति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

25/10/24

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामू

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध/खेदास्पद जमाबंदी केस नं० 142/~~108~~/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि

मौजा रहेला में जाकर राजस्व कागजात एवं स्थल का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि जं० खाता खाता सं० 41 प्लॉट सं० 101, एवं 14 रकबा क्रमशः 2.10 ए० व 0.48 ए० पर ① मुस्ताक मिया, ओखी मिया S/o - रसुल मिया ② हमीदुन बीबी पति कुद्दुस मिया ③ खलील मिया पिता मोमिन मिया वैगैरह का जोतकोड़ किया जा रहा है उनके द्वारा जाँच के दौरान बन्दोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० के बन्दोबस्ती वाद सं० 177/02-03 के अन्तर्गत दिनांक 11-07-03 को मौजा रहेला थाना नं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाता सं० 41 प्लॉट सं० 101, 14 रकबा 2.58 ए० की बन्दोबस्ती उक्त रैयत ओखी मिया वो मुस्ताक मिया पिता स्व० रसुल मियाँ ② हमीदुन बीबी पति कुद्दुस मिया ③ खलील मिया पिता रसुल मिया ④ जमीला बीबी पति मोमीन मियाँ ⑤ युसुफ मिया पिता रसुल मियां ⑥ रोजनी बीबी के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेला के मांग पंजी II के पेज नं० 83/1 पर पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी खेदास्पद/अवैध प्रतीत नही होता है अतः उक्त जमाबंदी को खेदास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

03/11/2022

प्रनेजर [signature]
अंचल अमीन मनातू

[signature]
R.S.I.

विश्वासभाजन
धीरेन्द्र दीक्षित
रा०उ०नि०
हल्का-III

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, ... जिला – ....

गैर मजरुआ आम/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केस संख्या- 17/82-83

बन्दोबस्तधारी का नाम .... पिता का नाम ....

.... ग्राम .... थाना .... जिला ....

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न०	खेसरा न०	रकबा	चौहद्दी	लगान
	41	10	2.10		प्रतिवर्ष
	41	14	0.48		अलावे सेस
345			2.58		वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्तों के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल कब्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदा करेंगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के योग होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तान्तरण वैध नहीं होगा। बन्दोबस्त भूमि की सात्विक वित्त अनुसूचित बैंक के पास रेहन बनाकर रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर   अंचल अधिकारी   अनुमंडल पदाधिकारी

10.7.83

मदपुर - ग्राम - रहैमा
खाता - सं० - 345
थाना - मनातू
जीला - पलामू
1" - इन्च = 1 मील
संकेत-चिन्ह ■ लाल-रंग

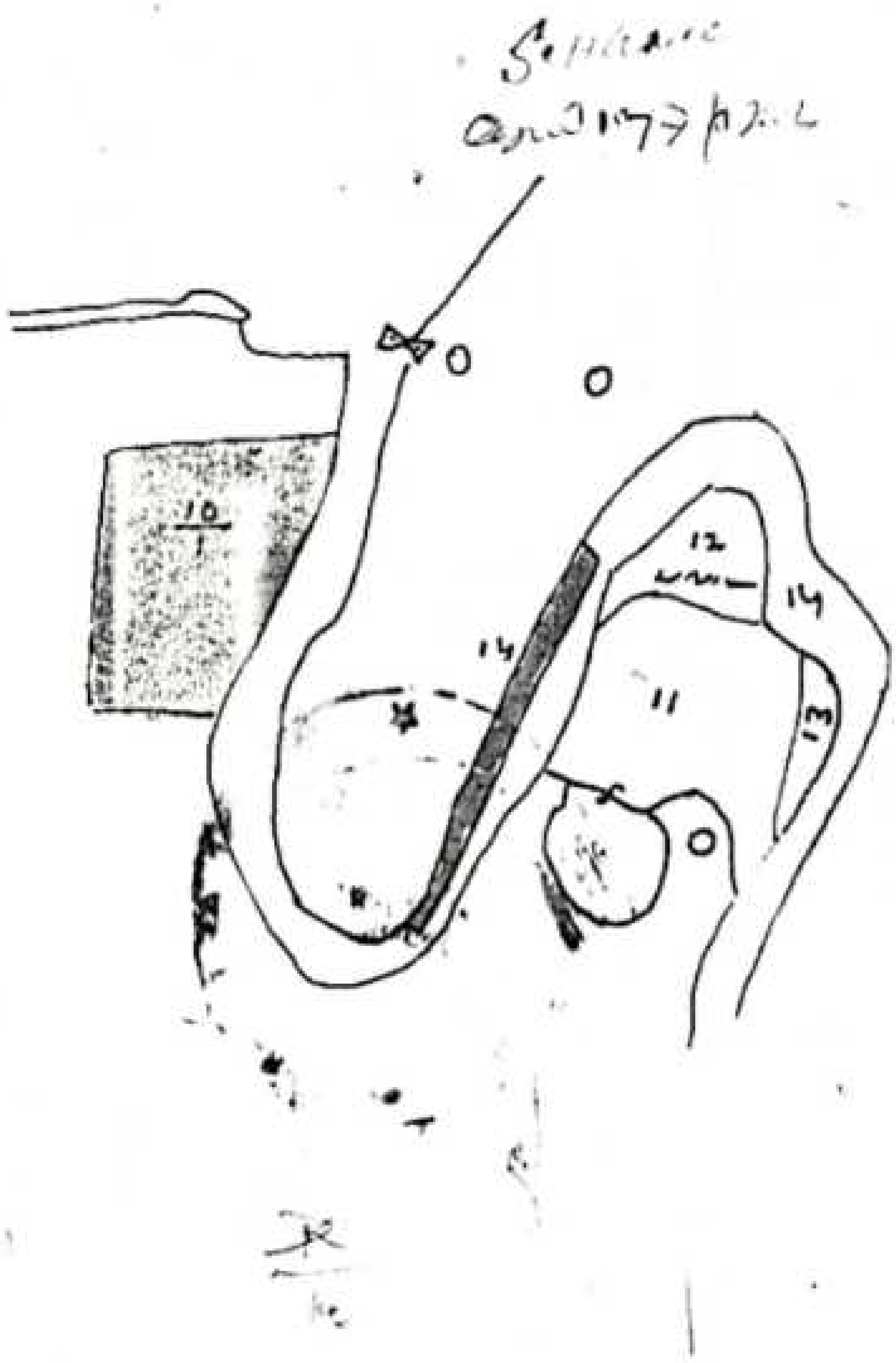

Sch. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम पलामू

अनुमण्डल का नाम मेदिनीनगर

अंचल का नाम मनातू

नाम सर्कल। नाम मौजा मय [illegible]

थाना वो थाना नम्बर म-१२८

V रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB 41

4965478

f.N- 83 / II

खाता संख्या	खेसरा संख्या
41, 41	10/1, 14 [illegible] 2.58 ए०

अराजी नकदी अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली

[illegible]

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	हाल 2011-12
माल गुजारी (नकदी)	20.00				160.00	20.00
माल गुजारी (भावली)	5.00				40.00	5.00
सेस	10.00				80.00	10.00
*सूद	10.00				80.00	10.00
मुतफरकात	5.00				40.00	5.00
मीजान	50.00				400.00	50.00

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	2011-12 मोतालबा हाल	फाजिल
माल गुजारी (नकदी)				160.00	20.00	Total
माल गुजारी (भावली)				40.00	5.00	
सेस				80.00	10.00	
*सूद				80.00	10.00	450.00
मुतफरकात				40.00	5.00	
मीजान अदायकारी				400.00	50.00	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) चार सौ पचास रुपये मात्र

(2) नाम देहिन्दा - [illegible]

(3) कुल बकाया-

[signature] 5/1/12

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

NCCP-2007

राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

Home

Official Login

पंजी II विवरण

Go Back

विवरण

भाग वर्तमान	:	1	पृष्ठ संख्या	:	83
जिला का नाम	:	पलामू	अनुमंडल नाम	:	सदर मेदनीनगर
अंचल का नाम	:	मनातु	हलका का नाम	:	हल्का-3
मौजा का नाम	:	रहेया	होल्डिंग संख्या	:	00
थाना नाम	:	मनातु	थाना नंबर	:	0345
तौजी संख्या	:	0	इस्टेट का नाम	:	झारखण्ड
खाता का प्रकार	:	गैरमजरूवा आम			

रैयत का नाम :

क्रम सं.	रैयत का नाम			जाति	निवासी
1.	ओसी मियां वो मुस्ताक मियां	पिता -	रसूल मियां	---	
2.	हमीदुल बीवी	पति -	कुद्दुश मिया ,शमीम मिया	----	
3.	जमीला बीवी	पति -	शमीन मिया	---	
4.	युसूफ मिया वो जमीला बीवी वो रोजनी बीवी	---		---	

प्लोट का विवरण

खाता नंबर	प्लोट संख्या	रकबा
41	10/1	2 एकड़ 10 डिसमील 0 हेक्टर
	14	0 एकड़ 48 डिसमील 0 हेक्टर

कुल परिमान	2 एकड़ 58 डिसमील 0 हेक्टर

लगान का विवरण

लगान	रोड सेस	शिक्षा सेस	स्वास्थ्य सेस	कृषि सेस	कुल
20.00	5.00	10.00	10.00	4.00	49.00

बकाया देखें   पिछली भुगतान देखें   पुनः खोज करें

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.11.07 12:20:51 +05:30
Location: 10.91.44.140